

परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण के रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन तिथि:
दिनांक: 29.04.2013
समय: प्रातः 10:30 बजे

स्थल:
कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन),
ऑफिस कॉम्प्लेक्स (भू-तल) केशवपुरम,
कल्यानपुर, कानपुर

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (आवंटन द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	पात्रता
हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर			
मिनी अल्प आय वर्ग 18/41 प्रकार भवन (04)			
1A-1040, 1041, 1042, 1043,	41.00 to 41.94	5.76 to 5.84	पात्रता चयनित आवेदक वर्ष 2010
अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार भवन (64)			
1B-542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 530, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 645, 646, 647, 648, 649, 650, A-1949, 1950, 1951, 1952, 7/133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235	60.59 to 109.64	8.152 to 12.55	पात्रता चयनित आवेदक वर्ष 2010
मिनी मध्यम आय वर्ग 45/75 प्रकार भवन (53)			
7/43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 93, 89, 90, 91, 92, 88, 98, 99	75.00 to 131.39	10.60 to 16.83	पात्रता चयनित आवेदक वर्ष 2010
उच्च आय वर्ग 97/242 प्रकार भवन (04)			
1A-2358, 1B-1387, 1388, 1389	242.00 to 244.53	32.58 to 32.80	पात्रता चयनित आवेदक वर्ष 2010

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	पात्रता
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-1) कानपुर			
आवासीय भूखण्ड 81 से 170 वर्ग मीटर तक (06 नग)			
4764, 4766, 4768, 4815, 4820, 4821	162.00	11760.00 Per Sq.m.	अंपजीकृत
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2) कानपुर			
उच्च आय वर्ग 97/242 प्रकार भवन (03)			
3/1532 (GEN), 3/1713 (OBC) 3/1717 (GEN)	242.00	39.80	अंपजीकृत
हंसपुरम योजना संख्या-2 कानपुर			
आवासीय भूखण्ड 170 वर्ग मीटर से अधिक (01 नग)			
6A-680	300.00	8960.00 Per Sq.m.	अंपजीकृत

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकाने एवं किरायास्व) सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)
अम्बेडकर पुरम योजना संख्या-3, (फेज-1) कानपुर		
दुकाने (28 नग)		
S-01	14.97	15.28
S-02	14.42	14.95
S-03	14.42	14.95
S-04	14.42	14.95
S-05	14.42	14.95
S-06	14.42	14.95
S-07	14.42	14.95
S-08	14.42	14.95
S-09	14.42	14.95
S-10	14.97	15.28
SH-03	18.073	14.97
SH-04	18.172	15.02
SH-05	18.073	14.97
SH-06	18.073	14.97
SH-07	22.668	17.13
SH-08	18.073	14.97
SH-09	18.172	15.02
SH-10	18.073	14.97
SH-11	18.834	15.33
SH-12	18.834	15.33
SH-13	18.073	14.97
SH-14	18.172	15.02
SH-15	18.073	14.97
SH-16	22.668	17.13
SH-17	18.073	14.97
SH-18	18.073	14.97
SH-19	18.172	15.02
SH-20	18.073	14.97

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकाने एवं किरायास्व) सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव		
दुकाने (12 नग)		
S-6	9.74	5.579
S-7	9.74	5.579
S-8	9.74	5.579
S-9	9.74	5.579
S-10	10.21	5.848
S-11	10.21	5.848
S-12	9.74	5.579
S-13	9.74	5.579
S-14	9.74	5.579
S-15	9.74	5.579
S-16	9.74	5.579
S-17	10.21	5.848
किरायास्व (02 नग)		
K-1	7.455	3.972
K-2	7.455	3.972

व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	एफ० ए० आर०	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर					
व्यवसायिक भूखण्ड (02 नग)					
H/CP-5	187.92	33264.00	1.20	40%	12.50
JC-1	1308.13	33264.00	1.20	30%	12.50
संस्थागत भूखण्ड (09 नग)					
Sec-I/A	1800.00	24948.00	-	-	-
Sec-I/B	1800.00	22680.00	-	-	-
Sec-I/C	1545.00	24948.00	-	-	-
Sec-M-2	997.50	22680.00	1.50	35%	15.00
Sec-M-3	997.50	22680.00	1.50	35%	15.00
Sec-M-4	997.50	22680.00	1.50	35%	15.00
Sec-M-5	997.50	22680.00	1.50	35%	15.00
Sec-M-6	997.50	24948.00	1.50	35%	15.00
G/INS-1	2064.62	22680.00	1.50	35%	15.00

अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	एफ० ए० आर०	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
व्यवसायिक भूखण्ड (14 नग)					
3/COM-1/22	605.00	23520.00	1.20	40%	10.00
3/COM-1/27	692.71	25872.00	1.20	40%	10.00
6/COM.1/3	420.00	23520.00	1.50	55%	12.50
6/COM.1/4	450.00	23520.00	1.50	55%	12.50
6/COM.1/5	450.00	23520.00	1.50	55%	12.50
6/COM.1/6	606.00	25872.00	1.50	55%	12.50
7/COM-1/4	495.00	25872.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/5	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/6	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/7	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/9	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/10	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/11	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/12	480.00	25872.00	2.00	40%	10.00
प्रीमियम भूखण्ड (06 नग)					
3/PR-27	1130.04	19404.00	1.20	40%	10.00
8/PR-13	450.00	17640.00	1.50	55%	12.50
8/PR-14	450.00	17640.00	1.50	55%	12.50
9/PR-5	600.00	17640.00	2.00	40%	10.00
9/PR-6	480.00	17640.00	2.00	40%	10.00
9/PR-7	600.00	19404.00	2.00	40%	10.00

हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	एफ० ए० आर०	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
व्यवसायिक भूखण्ड (11 नग)					
C/C-1	201.60	19712.00	-	-	-
C/C-2	201.60	17920.00	-	-	-
6A-CP-2	225.00	19712.00	-	-	-
B-1/10	63.00	19712.00	-	-	-
B-1/11	45.00	17920.00	-	-	-
B-1/13	45.00	17920.00	-	-	-
B-1/14	45.00	17920.00	-	-	-
B-1/15	45.00	17920.00	-	-	-
B-1/2	45.00	17920.00	-	-	-
7/CP-3	450.00	17920.00	-	-	-
7/CP-4	450.00	17920.00	-	-	-

संस्थागत भूखण्ड (04 नग)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	एफ० ए० आर०	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
2A-INS-1	1731.30	13440.00	-	-	-
2A-INS-2	551.00	13440.00	-	-	-
2A-INS-3	551.00	13440.00	-	-	-
2A-INS-4	712.50	14784.00	-	-	-

सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	एफ० ए० आर०	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
Sector1A	839.12	9680.00	-	-	-
Sector1B	1805.00	9680.00	-	-	-
Sector5G	834.75	9680.00	-	-	-
Sector5H	1627.50	9680.00	-	-	-

नोट:- (1) प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग मूल पर व्यवसायिक प्रयोग होगा एवं वेसमेंट का प्रयोग मण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सबडिवीजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (2) प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूलस्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अध्याय-3 भाग-5 के प्रस्तर 1, 5.1 के अनुसार प्ररनगत भूखण्डों हेतु अनुमत्य भू-आच्छादन एफ.ए.आर. व अनुमत्य इकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि-2000 के अनुसार रहेगा।

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

योजना/शहर का नाम सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल
आरक्षित मूल्य टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु०
बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित
अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।) पत्र व्यवहार का
पता दूरभाष/मोबाइल नं० ई-मेल आई०डी०
..... दिनांक/स्थल/नाम-पिता/पति का नाम-संस्थान/फर्म/कम्पनी का
नाम पूरा पता

सीलबिड का प्रारूप

(1) योजना/शहर का नाम (2) सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल (3) आरक्षित मूल्य (4) उच्चतम मूल्य (5) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु०
(6) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक एवं बैंक का नाम
(7) आवेदक का नाम (8) पिता/पति/फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम (9) आरक्षण (यदि देय है तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
..... (10) पत्र व्यवहार का पता (11) दूरभाष/मोबाइल नं० ई-मेल आई०डी०

घोषणा (आवंटन एवं सीलबिड दोनों के साथ आवश्यक)

- मेनें स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ, "जैसी है जहाँ है" के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ।
- मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अत्यन्त बच्चों के नाम सम्बन्धित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन / भूखण्ड नहीं है।
- मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अत्यन्त बच्चों की वर्ष 2012-2013 की समस्त चोटों से आय रु० से अधिक नहीं है।
- मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि.....स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

नियम एवं शर्तें:-

- आवेदन/सीलबिड फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु० 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।
- सीलबिड बिड/ऑफर अंकित करते हुए रु० 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सीलबिड बिड फार्म कार्यालय से अथवा उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से दो दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक सम्बन्धित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। जिन सम्पत्तियों में कार्बन शूकल नहीं जोड़ा गया है, उनमें कार्बन शूकल पृथक से लिया जायेगा। डाक से भी सीलबिड बिड भेजी जा सकती है, जो नीलामी की तिथि से दो दिन (कार्य दिवस) से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए अन्यथा विचार नहीं किया जायेगा।
- आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सीलबिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिए निम्नलिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है।
- सम्पत्तियों की संख्या व मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
- आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा।
- आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित शहर में मुग्तान योग्य देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 27.04.2013 तथा सीलबिड नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सायं 5:00 बजे तक निम्नलिखित पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में मांग लिया जा सकता है।
- अपूर्ण एवं कटेफटे एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
- सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- सम्पत्ति का कब्जा देय मुग्तान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख उपरान्त किया जायेगा।
- आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।
- एक आवेदक एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में अंतिम आवंटन हेतु एक ही भवन/भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे।
- सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है।
- समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

नीलामी/सीलबिड फार्म प्राप्त करने के पते निम्नलिखित हैं:-

- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 5 सी-101-104, योजना संख्या-2, हंसपुरम, हमीरपुर रोड, कानपुर।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, योजना संख्या-1, औरैया।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, एस-5 एवं 6, चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, तालपुरा योजना, जौंसी।
- कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन) उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, ऑफिस कॉम्प्लेक्स (भू-तल) केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर।

जन सुविधा केन्द्र
परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी